न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 3606ए/2016 प्रार्थना पत्र

चम्पा कुमावत

//बनाम//

उंकार कुमावत व अन्य

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राज0 रा0का0एक्ट</u>

निर्णय दिनांक 20.11.2019

प्रार्थी चम्पा कुमावत के विड्रा बाबत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली सीगे से तलब की गई। प्रकरण में वकील प्रार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 29.12.2014 के साथ भारतीय स्टेट बैंक के बैंकर्स चैक नं0 624527, 624523, 624526, 624529, 624528, 624524, 624525 कुल 7 बैंकर्स चैक दिनांक 26.12.2014 के पेश किये उक्त पत्रावली आर.ए.ए. चित्तौड़गढ अपील में होने से पत्रावली पर रिकार्ड पर नहीं लिये जा सके। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बैंकर्स चैक मूल ही इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/राजस्व/2014/443 दिनांक 29.12.2014 द्वारा संबंधित को राशि भुगतान करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेडा को भिजवायें गये। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2015/181 दिनांक 12.02.2015 से खातेदार फोत होने से पुनः बैंकर्स चैक इस कार्यालय को प्रस्तुत किये थे। जो पत्रावली पर आज दिनांक को रेकार्ड पर लिये गये। प्रार्थी चम्पा कुमावत मय अधिवक्ता उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। ओर राजीनामें अनुसार प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र धारा–251(ए) राज0का0अधि0 में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। तथा प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर विड्रा करा खारिज करवाना चाहता है। तथा प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2014 की अनुपालना में विपक्षीगण के नाम जमा कराये राशि के बैंकर्स चैक असल वादी/प्रार्थी प्राप्त करना चाहते हैं। जिस पर वकील विपक्षीगण को कोई आपति नही है। अतः प्रार्थी का विड्रो बाबत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी चम्पालाल को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.12.2014 की अनुपालना में 29.12.2014 को प्रस्तुत सात एस.बी.आई बैंकर्स चैक क्रमशः 624527, 624523, 624526, 624529, 624528, 624524, 624525 दिनांक 26.12.2014 के बैंकर्स चैक प्रार्थी चम्पालाल कुमावत को असल लौटाये गये। प्रार्थी की पहचान उनके

अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार वैष्णव ने की। बैंकर्स चैक प्रार्थी को लौटाने की रसीद आदेशिका एवं बैंकर्स चैक की फोटो प्रति पर ली गई। तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–251(ए)रा0का0अधि0 इसी स्टेज पर विड्रा कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.03.14 15:23:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: